(19)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः मनोज गोयल,
प्रशा0 सदस्य.

प्रकरण कमांक निगरानी 2991–तीन/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 25–7–13 पारित द्वारा अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर प्रकरण कमांक 1257/अ–27/2011–12.

———

ग्रीष्म प्रकाश पिता श्री चंद्रशेखर तिवारी
निवासी वैशालीनगर शिवाजी वार्ड तिली रोड,
तहसील व जिला सागर म.प्र. ——— आवेदक

विरूद्ध

चंद्रशेखर पिता स्व. श्री राधाकृष्ण तिवारी
निवासी ग्राम रायखेड़ा (महराजपुर)
तहसील देवरी जिला सागर म.प्र. ——— अनावेदक

———

श्री दिलीप गोस्वामी, अधिवक्ता, आवेदक.
श्री के. एस. निगम, अधिवक्ता, अनावेदक.

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/3/14 **को पारित)**

.....

यह निगरानी अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के प्रकरण कमांक अपील 1257/अ–27/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 25–7–13 से परिवेदित होकर म. प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा पारिवारिक सहमति एवं अन्य पुत्रों के साब बंटवारानामा के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि के नामांतरण हेतु आवेदन विचारण न्यायालय में दिया गया जिस पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर तहसीलदार ने आदेश दिनांक 20.10.09 द्वारा स्वीकार किया गया । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की जो एस.डी.ओ. ने आदेश दिनांक 17–7–12 द्वारा निरस्त की । एस.डी.ओ. के आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने

अधीनस्थ न्यायालय में द्वितीय अपील पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा स्वीकार की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की है ।

3– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस पेश की गई है जिसमें मुख्य रूप से यह तर्क दिये गये हैं कि । अनावेदक आवेदक का पिता है और उनके सगे चार भाईयों की सहमति से दिनांक 31.7.09 को बटवारानामा निष्पादित हुआ था जिसमें अनावेदक की सहमति के आधार पर नामांतरण विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया था और सम्पूर्ण प्रकिया उपरांत नामांतरण आदेश पारित किया था जिसके विरूद्ध किसी भी अन्य पारिवारिक सदस्य द्वारा बटवारामा को चुनौती नहीं दी गई है न ही उसे फर्जी या बनावटी होने का उल्लेख अपर आयुक्त ने किया था इस कारण अपर आयुक्त का आदेश निरस्ती योग्य है ।

यह तर्क दिया गया कि आवेदक अपने पिता की कृषि भूमि या प्रश्नाधीन प्लॉट में से अपना हिस्से पाने का अधिकारी है और उसे कृषि भूमि के एवज में प्लाट दिया गया था जिस पर उसने अपने स्वयं की निजी भूमि से मकान का निर्माण किया है । बंटवारे नामे में आवेदक को कोई भूमि नहीं दी गई है वरन उसमें यह लेख है कि हमारे पांच पुत्र हैं जिसमें आवेदक को पूर्व में जमीन दे चुकें हैं जबकि आवेदक को तथाकथित प्लाट के अतिरिक्त अन्य कोई पारिवारिक पुश्तैनी भूमि में से प्रदान नहीं की गई है । इस महत्वपूर्ण तथ्य को अपर आयुक्त ने अनदेखा किया है ।

यह तर्क दिया गया है कि अनावेदक द्वारा नामांतरण प्रकरण में अपनी पूर्ण सहमति दी थी और आवेदक की सहमति के आधार पर ही नामांतरण आदेश पारित हुआ किंतु अपनी सहमति के उपरांब एस.डी.ओ. के समक्ष विपरीत कथन अनावेदक द्वारा किए इस संबंध में 1991 आर.एन. 273 अवलोकनीय है तथा अनावेदक धारा 115 साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान अनुसार उक्त सहमति से इंकार किए जाने से विबंधित है । उक्त आधारों पर उनके द्वारा निगरानी स्वीकार करने तथा अपर आयुक्त के आदेश को निरस्त कर एस.डी.ओ. एवं तहसील न्यायालय के आदेश को स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया है ।

4– अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि प्रश्नाधीन प्लॉट उसने स्वयं खरीदा है और उस पर मकान बनाया है । विचारण न्यायालय के एवं एस.डी.ओ. के आदेश विधि विरूद्ध होने से अपर आयुक्त ने उन्हें निरस्त करने में

कोई त्रुटि नहीं है । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । प्रकरण में जिस भूमि का बंटवारा एक पुत्र (आवेदक) द्वारा चाहा जा रहा है वह अनावेदक (पिता) की स्वअर्जित संपत्ति है । पिता के जीवित रहते बिना उसकी सहमति के उसकी स्वअर्जित संपत्ति का बंटवारा नहीं कराया जा सकता । अतः अपर आयुक्त ने इस आधार पर अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के जो आदेश निरस्त किए हैं उसमें कोई त्रुटि नहीं है । स्वयं आवेदक ने अपने निगरानी मेमो में प्रश्नाधीन संपत्ति को पिता द्वारा कय किया जाना बताया है । जहां तक आवेदक के तहसील न्यायालय के इस न्यायालय में रिकार्ड बुलाने की आपत्ति का प्रश्न है यह प्रमाणित है कि उक्त रिकार्ड न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में आपराधिक प्रकरण में गया है । स्वयं आवेदक ने इस न्यायालय में दिनांक 4–2–15 को आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. के अंतर्गत आवेदन देकर उक्त प्रकरण से संबंधित छाया प्रति प्रस्तुत की है । अतः अब उसकी इस आपत्ति का कोई अर्थ न होने से निरस्त की जाती है । उपरोक्त तर्कों के प्रकाश में प्रकरण में उठाये गये अन्य बिंदुओं का निराकरण करना इस निगरानी में आवश्यक न होने से उन पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है ।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी आधारहीन होने से अमान्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशा0 सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर